भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 410

22 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: वर्षापोषित क्षेत्रों में फसल विविधीकरण हेतु योजनाएँ

410. श्री अमरसिंग टिस्सो:

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार असम के वर्षा-निर्भर आदिवासी क्षेत्रों, विशेषकर कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों में किसी फसल विविधीकरण योजना को क्रियान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहित की जा रही फसलों और शामिल क्षेत्रों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी योजनाओं के तहत किसानों को प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता या प्रोत्साहन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन योजनाओं को मूल्य श्रृंखला और बाजार पहुंच पहलों के साथ एकीकृत करने के लिए उठाए गए कदमों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क से घ): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) असम सहित संपूर्ण देश में वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी), राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) और राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन(एनएमईओ-ओएस) जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। असम राज्य के कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ जिले भी इन योजनाओं के अंतर्गत शामिल हैं।

वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी) योजना उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) पर केंद्रित है। आरएडी के अंतर्गत, फसलों/फसल प्रणाली को बागवानी, पशुधन, मत्स्य पालन, कृषि वानिकी, मधुमक्खी पालन आदि गतिविधियों के साथ एकीकृत किया जाता है ताकि किसान न केवल आजीविका को बनाए रखने के लिए कृषि लाभ को अधिकतम कर सकें, बल्कि सूखे, बाढ़ या मौसम की अन्य चरम घटनाओं के प्रभावों को भी कम कर सकें। कार्बी आंगलोंग जिले में, योजना को मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करने के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण भी आयोजित किए जाते हैं और किसानों को कृषि उत्पादों के फसलोपरांत भंडारण और बाय-प्रोडक्ट के प्रसंस्करण, पैकेजिंग और सीलिंग के लिए प्रशिक्षित भी किया जाता है। साथ ही, निर्यात को बढ़ावा देने और नए बाजार का विस्तार करने के लिए करने हेतु किसानों को एफपीओ में नामांकित करने और एफपीओ बनाने की प्रक्रिया जारी है।

राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन (एनएमईओ-ओएस) का उद्देश्य देश में खाद्य तेलों के संदर्भ में आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास करने हेतु घरेलू तिलहन उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करना है। एनएमईओ -तिलहन के अंतर्गत, देश भर में 600 से अधिक मूल्य श्रृंखला समूहों की पहचान की गई है, जो वार्षिक रुप से 10 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करते हैं। इन समूहों का प्रबंधन, मूल्य श्रृंखला भागीदारों (वीसीपी) द्वारा किया जाता है, जिनमें किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और सहकारी समितियाँ शामिल हैं। इन समूहों के किसानों को निःशुल्क उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उत्तम कृषि पद्धतियों (जीएपी) का प्रशिक्षण और मौसम एवं कीट प्रबंधन पर सलाह जैसी सेवाएँ मिल रही हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य नवीनतम उच्च उपज देने वाली किस्मों और प्रौद्योगिकियों के बारे में किसानों में जागरूकता सृजित करने के लिए ब्लॉक डेमॉन्स्ट्रेशन भी आयोजित कर रहे हैं। इसके साथ ही, यह मिशन तिलहन संग्रहण, तेल एक्सट्रैक्शन और रिकवरी की दक्षता बढ़ाने के लिए मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमता या दक्षता में सुधार सहित फसलोपरांत इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना के लिए सरकारी/निजी उद्योगों, एफपीओ और सहकारी समितियों को समर्थन प्रदान करता है। इससे कॉटनसीड, चावल की भूसी, मक्का तेल और वृक्ष-जनित तेल (टीबीओ) जैसे द्वितीयक स्रोतों से मूल्यवान उत्पादों की प्राप्ति में भी वृद्धि होती है, जिससे सतत कृषि पद्धतियों में योगदान मिलता है और किसानों के लिए बेहतर आय सृजन होता है।

एनएमईओ-ओपी का उद्देश्य क्षेत्र विस्तार, उत्पादन इनपुट, बाज़ार समर्थन और प्रौद्योगिकी अंतरण के माध्यम से देश में ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देना है। यह किसानों को वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएएफ़) के माध्यम से मूल्य आश्वासन के साथ-साथ रोपण, अंतर-फसल, सिंचाई, मशीनीकरण और पुनर्रोपण के लिए सहायता प्रदान करता है। यह योजना उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के लिए नई तकनीकों, किसान प्रशिक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को भी प्रोत्साहन देती है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013-14 से मूल हरित क्रांति वाले राज्यों अर्थात हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतर्गत फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) का कार्यान्वयन किया जा रहा है, ताकि अधिक पानी की खपत करने वाली धान की फसल के क्षेत्र को दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज, कपास आदि जैसी वैकल्पिक फसलों की ओर डायवर्ट किया जा सके। तथापि, असम में सीडीपी को लागू नहीं किया गया है।

*****